दुखद. चतरा मोड़ पर दूसरी बस पकड़ने के लिए सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा

डोभी में तेज रफ्तार ट्रक ने छह साल के बच्चे को कुचला, मौके पर मौत, सड़क जाम

आक्रोश

- बांकेबाजार से मां के साथ हंटरगंज लौट रहा था छह वर्षीय गोलू कुमार उर्फ आयुष
- हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक को कब्जे में लिया, हाइवे पर लगा लंबा जाम
- स्थानीय लोगों का आरोप-चतरा मोड़ पर वाहनों की बेलगाम रफ्तार से लगातार हो रहे हैं हादसे

प्रतिनिधि, डोभी

चतरा मोड़ (राष्ट्रीय राजमार्ग-द) । पर मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे छह वर्षीय मासूम को कुचल दिया. हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गयी. इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया और एनएच टू को पूरी तरह से जाम कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने और वातावरत बहाल कराने के प्रयास में जुटी है. मृतक बालक की पहचान हंटरगंज (झारखंड) के चौड़वर्ली निवासी रामखेलावन पासवान के बेटे गोलू कुमार उर्फ आयुष के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, गोलू अपनी मां के साथ बांकेबाजार के विश्वनुपुरा गांव से अपने घर लौट रहा था. दोनों चतरा मोड़ पर बस से उतरे थे. दूसरी बस पकड़ने के लिए मां-बेटे सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने



सड़क जाम के दौरान आक्रोशित लोग को समझा-बुझाकर शांत करते अधिकारी.

बालक को अपनी चपेट में ले लिया.

हाइवे पर तातावात ठप : मासूम की मौत के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गये. उन्होंने ट्रक को कब्जे में लेकर हाईवे जाम कर दिया, जिससे एनएच-टू पर दोनों दिशाओं में वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गयीं. ग्रामीण आरोपित ट्रक चालक के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही डोभी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गयी. अधिकारी आक्रोशित भीड़ को शांत कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं. इधर, घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चतरा मोड़ पर वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार के कारण यहां आये दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है.

ऑटो की चपेट में आने से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

मानपुर. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनसा गांव के पास मानपुर-राजगीर मुख्य मार्ग पर पांच दिन पहले अनियंत्रित ऑटो की चपेट में आने से घायल 47 वर्षीय अनिता देवी की इलाज के दौरान मौत हो गयी. हादसे में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी थीं. परिजनों और स्थानीय पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गयी. इस मामले में मृतका के बेटे ने ऑटो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. भौरे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राम प्रवेश यादव ने बताया कि मृतक के परिजनों को सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कराने की प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जब्त कर लिया था.

स्कॉर्पियो व स्विफ्ट डिजायर की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर

डोभी. बिहार-झारखंड सीमा के समीप डोभी-चतरा मुख्य मार्ग पर बरेहा थाना क्षेत्र के कोसमा मोड़ के पास स्कॉर्पियो और स्विफ्ट डिजायर कार की आमने-सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक की पहचान रानीचक निवासी राजेश यादव के रूप में हुई है. घायल विरेंद्र कुमार की हालत चिंताजनक बतायी जा रही है. जानकारी के अनुसार, राजेश यादव और विरेंद्र कुमार स्विफ्ट डिजायर कार से कोसमा मोड़ से अपने घर रानीचक लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही स्कॉर्पियो से उनकी टक्कर हो गयी. हादसे में राजेश यादव की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि विरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गये. बहेरा पुलिस की मदद से उन्हें डोभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. वहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया रेफर कर दिया गया. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने राज सड़क पर रखकर डोभी-चतरा मार्ग जाम कर दिया. वे सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग कर रहे थे. सूचना पर पहुंची पुलिस जाम हटाने के प्रयास में जुटी रही. बहेरा पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर ली है, जबकि उसका चालक और अन्य सवार मौके से फरार हो गये. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

स्कॉर्पियो के धक्के से पैदल चल रहे वृद्ध की हुई मौत, चालक गिरफ्तार

प्रतिनिधि, डोभी

बहेरा थाना क्षेत्र के डोभी-चतरा मुख्य मार्ग पर एनएच-22 में पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय अमारूत के समीप स्कॉर्पियो की टक्कर से सड़क किनारे पैदल चल रहे 56 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गयी. मृतक की पहचान अमारूत डीह गांव निवासी वीरेंद्र तिवारी (56) के रूप में हुई है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ लिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार, झारखंड के हंटरगंज स्थित कालेश्वरी मंदिर से दर्शन कर चेरकी निवासी विक्की कुमार सिंह उर्फ विवेक कुमार स्कॉर्पियो से घर लौट रहा था. इसी दौरान अमारूत स्कूल के समीप वाहन ने सड़क किनारे चल रहे वीरेंद्र तिवारी को टक्कर मार दी. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गये. स्थानीय लोगों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोभी ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया रेफर कर दिया. वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. बताया जाता है कि मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ थे. घटना के बाद लोगों ने वाहन और चालक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची बहेरा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर ली और चालक विक्की कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

कार और बाइक की टक्कर में चार युवक घायल, वाहन जब्त

खिजरसराय. खिजरसराय थाना क्षेत्र के बाइपास मोड़ के समीप कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में चार युवक घायल हो गये. हादसे में युवकों के हाथ-पैर टूटने के साथ अन्य चोटें भी आयीं हैं. सभी युवक पंचमहला निवासी विकास पासवान के घर छठ पूजा में शामिल होने के बाद लौट रहे थे. बताया जाता है कि चारों युवक बेलागंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के निवासी हैं. घायलों की पहचान फतेहपुर गांव निवासी रंजन कुमार के भाईयों के रूप में हुई है. घटना के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है.

बाराचट्टी में बकरी चराने गये ग्रामीण की कुएं में डूबने से मौत, छठ पर आया था घर

- ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से निकाला गया शव
- परिजनों में पसरा मातम

बाराचट्टी. दरबार गांव में बकरी चराने गये एक ग्रामीण की कुएं में डूबने से दर्दनाक मौत हो गयी. मृतक की पहचान गांव के ही रवा राम प्रति मंडल के पुत्र इंद्रदेव मंडल के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इंद्रदेव मंडल के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल (गयाजी) भेज दिया है. पंचायत के मुखिया विजय प्रसाद मेहता ने बताया कि इंद्रदेव खेत की तरफ बकरी चराने गया था. इसी दौरान वह खेत में स्थित एक खुले और बिना चहारदीवारी (जगत) वाले कुएं में गिर गया. जानकारी मिलने पर पहुंचे ग्रामीणों ने कुएं में बांस डालकर उसे बचाने की काफी कोशिश की. कड़ी मशक्कत के बाद जब तक उसे बाहर निकाला गया, उसकी मौत हो चुकी थी.

छठ पूजा में घर लौटा था मजदूर : ग्रामीणों ने बताया कि इंद्रदेव ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करता था और छठ पूजा के मौके पर ही घर आया हुआ था. वह अपने पीछे पत्नी, तीन बेटियों और दो बेटे छोड़ गया है. परिजनों के अनुसार, जल्द ही उसकी एक बेटी की शादी होने वाली थी. इस हादसे के बाद परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है. हादसे की सूचना मिलने पर बाराचट्टी पुलिस मौके पर पहुंची. थानाध्यक्ष अमरेंद्र किशोर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इधर, स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तत्काल मुआवजा राशि मुहैया कराने की मांग की है.

वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल

बेलागंज. गया-पटना एनएच-22 पर बेलागंज थाना क्षेत्र के प्रांणपुर मोड़ के समीप सोमवार की रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल की पहचान प्राणपुर गांव निवासी मोटू मांझी के रूप में हुई है. हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया. जानकारी के अनुसार, मोटू मांझी सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. दुर्घटना के बाद भीड़ एकत्र हो गयी. घायल और ओर से लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

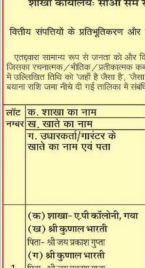

सुनील कुमार द्विवेदी ने मंगलवार को बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिली है. घायल और ओर से लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

पुरानी रंजिश में चाकूबाजी, एक दर्जन घायल

- दोनों पक्षों के कई लोगों के सिर और पीठ में आयीं चोटें

बाराचट्टी. बाराचट्टी थाना क्षेत्र के जयगिरि गांव में मंगलवार की सुबह पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गयी. देखते ही देखते दोनों ओर से चाकू, ईंट और डंडे से हुए हमले में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गये. घायलों में मकसूदन यादव की स्थिति गंभीर है. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गया रेफर कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, मकसूदन यादव और महावीर यादव के गुटों के बीच किसी बात को



लेकर कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट तथा चाकूबाजी होने लगी. इस दौरान मकसूदन यादव के पेट में चाकू लगने से गंभीर चोट आयी.

मज़बूत इरादों के साथ सेहत का पहला कदम

International Men's Day

के इस मौके पर विशेष हर्बल्ज़ प्रा. लि. आपको दे रही है

Dr. Ortho Premium Acupressure Slippers

के एक पैक की खरीद पर एक पैक बिल्कुल फ्री



ऑफ़र केवल आज के लिए मान्य है

Terms & Conditions

1. दिए गए QR कोड को अपने मोबाईल से स्कैन करें या हमारी वेबसाइट www.divisastore.com पर जायें।
2. यह उपहार केवल उपभोक्ताओं के लिए है, यह सुरक्षित पैक होगा, जिसे दुकानदार नहीं बेच पाएंगे।
3. *Shipping charges are free inclusive of all taxes.
4. *Under the 1+1 discount offer, purchase one unit of Dr. Ortho Premium Acupressure Slippers, worth MRP. ₹1199, and get one additional pack absolutely free.
5. All rights Reserved.

Payment Mode: RuPay VISA MasterCard Maestro AMEX Paytm GPay pay

24x7 Helpline: 78769 77777 | www.drorthooil.com | info@drorthooil.com

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

शाखा कार्यालय: सीओ सैप सर्किल ऑफिस, गया (आर ज पैलेस, राय काशी नाथ मोड़, गया) ईमेल: cogayasamd@pnb.co.in

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के आलोक में पठित

एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से ऋणी (यों) और गारंटीकर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार जो पास गिरवी रखी गई है, जिसका रजनगाम / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा पीएनबी द्वारा ले लिया गया है। बिक्री के प्रख्यिात अधिकारी / विधकेयर्ड अेडिटर को अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दी गई तारिखा मे उसिलिखित तिथि को 'जहाँ है जैसा है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संकेतित उपारलर्ती (ओं) और गारंटर (यों) से बैंक / सुरक्षित लेनदार के बकाए का ब्याज, आकस्मिक मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में संकेतित संपत्तियों के अनुसार होगी।

सुरक्षित संपत्ति पर्व अनुसूची

लॉट नम्बर	क. शाखा का नाम ख. खाते का नाम ग. उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों (भूमि और भवन) का विवरण, बंधककर्ता/संपत्ति के मालिक के नाम सहित	क. सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत विचार नोटिस की तारीख ख. बकाया राशि ग. सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा-13 (4) के तहत कब्जे की तारीख घ. कब्जे की प्रकृति प्रतीकात्मक/भौतिक	क. आरक्षित मूल्य (जाब मे) का दिनांक/ समय ख. ईएमडी ग. बोली वृद्धि राशि	ई नीलामी का दिनांक/ समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	(क) शाखा- ए.पी.कॉलोनी, गया (ख) श्री कुणाल भारती पिता- श्री जय प्रकाश पुरवा (ग) श्री कुणाल भारती पिता- श्री जय प्रकाश पुरवा निवासी- ग्राम- दुर्गा स्थान चुको बैंक के निकट, मानपुर, थाना+पोस्ट- बुनियादगंज, जिला-गया-823003	सेल डीड संख्या- 7019 दिनांक- 26.04.2017, खाता संख्या- 7 (नया), 40 (पुराना), प्लॉट संख्या- 875 (नया), 519 (पुराना), क्लॉक संख्या- 1, मौजा- बरेस, क्षेत्रफल- 929 वर्ग फीट, थाना- मुफस्सिल, थाना संख्या- 268, जिला- गया के अंतर्गत आने वाली संपत्ति श्री कुणाल भारती पिता- श्री जय प्रकाश पुरवा के नाम पर स्थित है। **चौहद्दी-** उत्तर- क्लॉक संख्या- 2 विक्रय कुमार आज खरीदवर, दक्षिण-गैस लेकहकारी, पूर्व -10 फिट चौड़ा रास्ता, पश्चिम- सुनीता सिंह पति- राजेश कुमार सिंह	(क) 13.11.2019 (ख) बकाया राशि- रु. 14,33,934.23/- (रुपए चौदह लाख तैंतीस हजार नौ सौ चौंतीस एवं तेईस पैसे मात्र) साथ ही दिनांक 01.07.2019 से आगे का ब्याज एवं पूरा भुगतान होने तक अन्य खर्च। (ग) 18.03.2020 (घ) सांकेतिक कब्जा	(क) रु. 6,49,800/- (ख) रु. 64,980/- (ग) रु. 10,000/-	दिनांक 22.12.2026 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक	शून्य
2	क.शाखा: शेरघाटी, गया। ख.मेसर्स वैष्णवी ट्रेडिंग प्रोप- श्री अवधेश मिश्रा ग. मेसर्स वैष्णवी ट्रेडिंग प्रोप-श्री अवधेश मिश्रा पिता श्री कृष्ण चंद्र मिश्रा निवासी- गोपालपुर, शेरघाटी, जिला- गया - 824211	सेल डीड संख्या 2928 दिनांक 06/04/2017 के अंतर्गत आने वाली भूमि एवं भवन जिसका खाता संख्या 149, प्लॉट संख्या 1012, थाना संख्या 817, क्षेत्रफल 2.0 डिसिमल है। **इसकी चौहद्दी इस प्रकार है:** उत्तर- श्रीमती पुष्पा देवी एवं सुरेश सिंह, दक्षिण- इदय सिंह, पूर्व- निज सड़क, पश्चिम- कृष्णा पासवान। यह संपत्ति मौजा- गोपालपुर, थाना- शेरघाटी में स्थित है एवं श्री अवधेश मिश्रा कृष्ण चंद्र मिश्रा के नाम पर है।	क. 11.06.2021 ख. बकाया राशि: रु. 37,54,332.86/- (रुपये सैंतीस लाख चौवन हजार तीन सौ बत्तीस एवं छियासी पैसे मात्र) दिनांक 31.03.2021 तक एवं इसके साथ ही दिनांक 01.04.2021 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्च, पूर्ण भुगतान होने तक लागू. ग. 28.09.2021 घ. सांकेतिक कब्जा	1. रु.13,95,000/- 2. रु.1,39,500/- 3. रु.10,000/-	दिनांक 22.12.2026 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक	शून्य
3	(क) शाखा: डोभी, गया (ख) मेसर्स जनता बीज भंडार, प्रोपराईटर- श्री शंकर यादव पिता- स्वर्गीय कौलेश्वर यादव (ग) मेसर्स जनता बीज भंडार, प्रोपराईटर- श्री शंकर यादव पिता- स्वर्गीय कौलेश्वर यादव पता- ग्राम-फतेहपुर, पोस्ट- पीडासीन, थाना-डोभी, जिला-गया-824201 पता- ग्राम- घोंगाहा, अंचल / थाना- डोभी, पिन-824201 जिला-गया श्री शंकर यादव पिता- स्वर्गीय कौलेश्वर यादव पता- ग्राम-फतेहपुर, पोस्ट- पिडासीन, थाना-डोभी, जिला-गया पता- ग्राम- घोंगाहा, अंचल/थाना-डोभी पिन-824201 जिला-गया पता- ग्राम-फतेहपुर, पोस्ट- पीडासीन, थाना-डोभी, जिला-गया	पंजीकृत सेल डीड संख्या-7501 दिनांक 28/12/2020 के अंतर्गत आने वाली संपत्ति, प्लॉट संख्या- 990 (नया), खाता संख्या- 55, क्षेत्रफल- 10 डिसमिल, थाना संख्या- 804, ग्राम- मौजा- भरसपुर, थाना- डोभी, जिला-गया में श्री शंकर यादव पिता- स्वर्गीय कौलेश्वर यादव के नाम पर स्थित है। **चौहद्दी-** उत्तर-रास्ता, दक्षिण-पुलित यादव, पूर्व- ग्रामीण सड़क, पश्चिम- कुलोअन यादव	(क) 29.01.2025 (ख) बकाया राशि:- रु. 20,54,756.31 (रूपए बीस लाख चौवन हजार सात सौ छप्पन एवं इकतीस पैसे मात्र) दिनांक 31.12.2024 तक साथ ही दिनांक 01.01.2025 से आगे का ब्याज एवं पूर्ण भुगतान होने तक अन्य खर्च। (ग) 28.04.2025 (घ) सांकेतिक कब्जा	(क) रु. 20,45,700/- (ख) रु. 2,04,570/- (ग) रु.10,000/-	दिनांक 22.12.2026 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक	शून्य

नियम एवं शर्तें :-
यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:
1. संकेतित 'जैसा है जहाँ है' एवं 'जैसा है जो है' एवं 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जा रही है।
2. ऊपर दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन इस घोषणा में किसी भी चूक, गलत कथन या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बिक्री ऑफ़ेडनामाही द्वारा ऐक्सक्लाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिनांक 22.12.2026 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://baanknet.com एवं www.pnbindia.in देखें।

दिनांक- 18.11.2026
स्थान- गया

विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा
सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

प्रकाश कुमार
प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता
मो:-7327079850